सा.का. नि. 244. — संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वीत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, सलाहकार (वर्ग 'क') भर्ती नियम, 1997 और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग निदेशक (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) और सहायक इंजीनियर-(सिविल) भर्ती नियम, 1997, पूर्वोत्तर परिषद् सिववालय, शिलांग, इंजीनियर अधिकारी (सिविल) और कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) भर्ती नियम, 2000 जहां तक वे सलाहकार (परिवहन और संचार) और सहायक इंजीनियर (सिविल), इंजीनियर अधिकारी (सिविल)/कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) के पदों के संबंध में है का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थिगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में सलाहकार (परिवहन और संचार) अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) और सहायक इंजीनियर (सिविल) के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, नामतः :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवन होंगे ।

- 2. लागू होना.—ये नियम, संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।
- 4. भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि.—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
 - 5. निरर्हता .- जिसने
 - (क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों या
 - (ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतर्पूव सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2005) सामान्य वे सर के सेवा, वर्ग		्नहीं	लागू नहीं
(আ	15.43		
	आ	an english to the same of the same	and the property of the same o

7 8 9 10

लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं

11 12

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ऐसा न हो सकने की स्थिति में प्रोन्निति द्वारा। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/पदोन्नितः --

- 1. केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी जो :
- (क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद्धारी हों; या
 - (ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 12000—16500 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुकें हों; या
 - (iii) पैट्ट संवर्ग/विभाग में रु. 10000—15200 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधाः पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दस वर्ष की सेवा कर चुके हों; और
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों:
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था या समकक्ष संस्था से सिविल इंजीनियरी में बैचलर डिग्री;
 - (ii) पहाड़ी सड़कों के निर्माण सहित सिविल कार्य के कार्यान्वयन और निर्माण में बारह वर्ष का अनुभव।
 - 2. चयन के लिए विभागेतर लोगों पर विचार करते समय ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवायुक्त विभागीय अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) पर भी विचार किया जाएगा और पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाने पर पद प्रोन्नित द्वारा भरा समझा जाएगा।
 - नोट 1: विभागीय अधिकारी जो फीडर कोटि में हैं और जो प्रोन्नित के लिए सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त भी प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

नोट 2: केन्द्र सरकार के उसी संगठन या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सिहत प्रतिनियुक्ति की अविध सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सिहत) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13

14

लागू नहीं

पद भरने तथा भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

Shillong, the 27th June, 2005

- G.S.R. 244.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Advisers (Group 'A') Recruitment Rules, 1997, and North Eastern Council Secretariat, Shillong, Director (Science and Technology) and Assistant Engineer (Civil) Recruitment Rules, 1997. North Eastern Council Secretariat, Shillong, Engineer Officer (Civil) and Executive Engineer (Civil) Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the posts of Adviser (Transport and Communication) and Assistant Engineer (Civil), Engineer Officer (Civil), Executive Engineer (Civil) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Adviser (Transport and Communication), Superintending Engineer (Civil), Executive Engineer (Civil) and Assisstant Engineer (Civil) in the North Eastern Council Secretariat, Shillong., namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2005.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.
- 3. Number of Post, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
 - 5. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes. Ex-servicemen other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

1.1	2	3 3	4	5	6
2. Superintending Engineer (Civil)	01* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial	Rs. 14,300-400- 18,300	Not applicable	Not applicable
7		8		9	10
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Not applicable
A series to a message		The state of the s			
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-			12		
Deputation (include contract)/failing wh				erm contract)/pron Government or State	notion: e Governments or Union

1

Territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Statutory or Autonomous Organisations:—

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ Department; or
 - (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 12000—16500 or equivalent in the parent cadre or Department; or
 - (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 10000—15200 or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:
 - Bachelor's degree in Civil Engineering from a recognised University or Institute or equivalent.
 - (ii) Twelve year's experience in execution or construction of civil works including hill roads.
- 2. The departmental Executive Engineer (Civil) with ten years' regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion.
- Note 1:—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Note 2:—Period of deputation or contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

13

14

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these Recruitment Rules.